



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245332
CG-DL-E-22042023-245332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1756]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1756]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1838(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 528 (अ) तारीख 30-01-2023 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02-02-2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मेघालय राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

सी - अर डी ब्लॉक रु थाडलास्केन		जिला : ईस्ट जयंतिया हिल्स	राज्य : मेघालया		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	वापुंग शिनोंग	थवाई मनभा नदी	00	01	53
		सी26/001	00	04	77
		सी26/002	00	26	39
		सी26/003	00	07	64
		सी26/004	00	00	06
		सी26/005	00	06	22
		सी26/006	00	15	36
		सी26/007	00	18	52
		कार्ट ट्रैक	00	00	90
		सी26/008	00	33	14
		डामर रोड	00	02	00
		सी26/009	00	88	51
		सी26/010	00	00	17
		सी26/011	00	09	47
		सी26/012	00	01	42
		सी26/013	00	15	02
		सी26/014	00	26	20
		सी26/015	00	02	13
		सी26/016	00	07	40
		सी26/017	00	16	89
		सी26/018	00	57	68
		सी26/019	00	17	99
		सी26/020	00	00	14
		सी26/021	00	15	66
		सी26/022	00	02	79
		सी26/023	00	25	21

सी26/024	00	04	33
सी26/025	00	05	80
सी26/026	00	20	80
सी26/027	00	13	30
सी26/028	00	01	64
सी26/029	00	02	47
सी26/030	00	09	81
सी26/031	00	33	98
सी26/032	00	08	38
सी26/033	00	17	47
सी26/034	00	02	20
सी26/035	00	13	18

[फा.सं. एल - 14014/250/2022- जीपी-II (ई-45397)]

रामजी लाल मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2023

S.O. 1838(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 528 (E) dated the 30-01-2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 02-02-2023, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

C & RD. Block : Thadlaskein		District:- East Jaintia Hills	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Wapung Shinong	Sea- Thwai Manbha River	00	01	53
		C26/001	00	04	77
		C26/002	00	26	39
		C26/003	00	07	64
		C26/004	00	00	06
		C26/005	00	06	22
		C26/006	00	15	36
		C26/007	00	18	52
		Cart Track	00	00	90
		C26/008	00	33	14
		Asphalt Road	00	02	00
		C26/009	00	88	51
		C26/010	00	00	17
		C26/011	00	09	47
		C26/012	00	01	42
		C26/013	00	15	02
		C26/014	00	26	20
		C26/015	00	02	13
		C26/016	00	07	40
		C26/017	00	16	89
		C26/018	00	57	68
		C26/019	00	17	99
		C26/020	00	00	14
		C26/021	00	15	66
		C26/022	00	02	79
		C26/023	00	25	21
		C26/024	00	04	33
		C26/025	00	05	80
		C26/026	00	20	80
		C26/027	00	13	30

C26/028	00	01	64
C26/029	00	02	47
C26/030	00	09	81
C26/031	00	33	98
C26/032	00	08	38
C26/033	00	17	47
C26/034	00	02	20
C26/035	00	13	18

[F. No. L-14014/250/2022-GP-II (E-45397)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.